न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मसूदा जिला–अजमेर (राज0)

राजस्व प्रार्थना संख्या 135/2020

1. श्रीमती अलोल पत्नि श्री रामस्वरूप जाति माली उम्र बालिग साकिन बड़ा आसन तहसील बिजयनगर जिला अजमेर (राजस्थान)

--------प्रार्थीगण

ब ना म

1. श्री कैलाश पुत्र श्री गोकुल कुम्हार जाति कुम्हार उम्र बालिग साकिन बड़ा आसन तहसील बिजयनगर जिला अजमेर (राज0)।
2. श्री लादू पुत्र श्री किशना कुम्हार जाति कुम्हार उम्र बालिग साकिन बड़ा आसन तहसील बिजयनगर जिला अजमेर (राज0)।
3. श्री रामचन्द्र पुत्र श्री देबी माली जाति माली उम्र बालिग साकिन बड़ा आसन तहसील बिजयनगर जिला अजमेर (राज0)।
4. राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान तहसीलदार महोदय, तहसील बिजयनगर, जिला अजमेर।

----अप्रार्थीगण

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 व 111 भू राजस्व अधिनियम

आदेश दिनांकः 05.11.2020

अधिवक्ता प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सारांशतः कथन किए हैं कि ग्राम–बड़ा आसन पटवार क्षेत्र बाड़ी भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र लोड़ियाना तहसील बिजयनगर की जमाबन्दी संवत् 2071–2074 के खसरा संख्या 170 रकबा 0.1698 है0, भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी में चली आती है जिस पर बिना किसी रोक टोक व बिना बाधा के लगातार काबिज चला आता है। प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की भूमियां लगते हुए है तथा अप्रार्थीगण, प्रार्थीगण की उक्त आराजीयाज की सीमाओं को लेकर विवाद होता रहता है, जिस हेतु वादग्रस्त भूमियों की पत्थरगढ़ी किया जाना न्यायहित में अत्यंत आवश्यक है। इसलिऐ प्रार्थी को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर न्यायालय की शरण में आना पड़ा है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थी संख्या 04 तहसीलदार महोदय को आदेशित किया जावे कि प्रार्थी की खातेदारी आराजियात का मौके पर पत्थरगढ़ी करावें।

प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर होकर जरिए नोटिस अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थीगण अनुपस्थित रहने से एक तरफा कार्यवाही अमल मे लाई गई ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2021.01.14 16:12:25 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र पर बहस [illegible] सुनी गई जिनके कथन कमोबेश उनके प्रार्थना पत्र अनुसार ही रहे। [illegible] पत्रावली का अवलोकन किया गया।

बाद अवलोकन पाया कि ग्राम–बड़ा आसन पटवार क्षेत्र बाड़ी भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र लोड़ियाना तहसील बिजयनगर की जमाबन्दी संवत् 2071–2074 के खसरा संख्या 170 रकबा 0.1698 है0, भूमि प्रार्थीगण के नाम दर्ज है।

................लगातार

चूंकि वादग्रस्त आराजियात प्रार्थी की खातेदारी की भूमियां है जिसमें वे जरिए नाप–चौप पत्थरगढ़ी करवाये जाने के अधिकारी पाए जाते हैं।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार मसूदा को आदेशित किया जाता है कि वे प्रार्थी से नियमानुसार पत्थरगढ़ी शुल्क प्राप्त कर प्रार्थी पक्षकारान एंव विवादित खसरान के आस पास के खातेदारान को सूचित कर एंव संबंधित हल्का पटवारी के साथ अन्य दो पास के हल्के के पटवारीयान/भूअभिलेख निरीक्षक की टीम ग्राम–बड़ा आसन पटवार क्षेत्र बाड़ी भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र लोड़ियाना तहसील बिजयनगर की जमाबन्दी संवत् 2071–2074 के खसरा संख्या 170 रकबा 0.1698 है0, भूमि का मौके पर जरिये माप एवं सीमांकन सीमा कायम कर पत्थरगढी कारवाना सुनिश्चित करें।

आदेश आज दिनांक 05.11.2020 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी मसूदा (अजमेर)

(मोहनलाल खटनावलिया)
आर0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी, मसूदा

(मोहनलाल खटनावलिया)
उपखण्ड अधिकारी
मसूदा (अजमेर) राज.

Signature Not Verified

Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2021.01.14 16:12:25 IST
Reason: SelfAttested